संख्या–250 / 22–2–2010–25(94) / 97

प्रेषक,

एन0के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
3– समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4– समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
5– समस्त वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, आदर्श कारागार / केन्द्रीय कारागार / जिला कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2010

विषय :– कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व रिहाई हेतु फार्म–ए, नामिनल रोल तथा इनफरमिटी रोल पर विचारण / निस्तारण के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1658 / 22–2–2004–25(94) / 97, दिनांक 06 सितम्बर, 2004, के प्रस्तर–8 को निम्न प्रकार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
शासनादेश संख्या–1658 / 22–2–2004–25 (94) / 97, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 का वर्तमान प्रस्तर–8	शासनादेश संख्या–1658 / 22–2–2004–25 (94) / 97, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 का प्रतिस्थापित प्रस्तर–8
बन्दियों के नामिनल रोल तथा फार्म–ए पुनः निकाले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव महानिदेशक, कारागार द्वारा अपनी संस्तुति सहित शासन की अनुमति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत किये जायेंगे :– (I). पूर्व में बन्दी का नामिनल रोल / फार्म–ए शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने के उपरान्त 03 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गयी हो। (II). इस बीच बन्दी कारागार से अनधिकृत रूप से बाहर न रहा हो। (III). इस अवधि में बन्दी द्वारा जेल अनुशासन का पालन किया गया हो तथा उसका आचरण सन्तोषजनक रहा हो।	बन्दियों के पुनः नामिनल रोल तथा फार्म–ए महानिरीक्षक, कारागार द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन निकाले जायेंगे :– (I). पूर्व में बन्दी का नामिनल रोल तथा फार्म–ए शासन द्वारा अस्वीकार किये जाने के उपरान्त 01 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गयी हो। (II). बन्दी का नामिनल रोल तथा फार्म–ए पुनः निकाले जाने के लिए शासन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। (III). इस बीच बन्दी कारागार से अनधिकृत रूप से बाहर न रहा हो। (IV). इस अवधि में बन्दी द्वारा जेल अनुशासन का पालन किया गया हो तथा उसका आचरण सन्तोषजनक रहा हो।

अतः शासनादेश संख्या–1658/22–2–2004–25(94)/97, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(एन0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

2– मुख्य प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

3– समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0।

4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0के0 सिंह)
विशेष सचिव।